FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A Crim-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

इकीमुतला खां बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 88,89 नं. 144 सन् 2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकाम मृतक प्रतिवादी नं0 7 पांचूलाल पेश हुई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी नं0 7 पांचू लाल पुत्र श्री चन्द्रा जी मीणा का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी सिविल वाद रजिस्ट्री कैन्सिलेशन का पेश कर रखा है जिसमे पांचूलाल के नोटिस पर उसकी मृत्यु होना अंकित होकर आने पर हुई है, और जानकारी होते ही उसके वारिसान का नाम पता कर आज कायम मुकाम बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। पांचूलाल के खिलाफ वाद में रिलीफ चाही गई है, इसलिये उसके वारिसान को उसके स्थान पर कायम मुकाम बनाया जाकर रिकार्ड पर लेते हुये तलब किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। पांचूलाल की मृत्यु की जानकारी वादी को सर्वप्रथम सिविल वाद में नोटिस पर मृत्यु होना अंकित होकर आने के बाद हुई है। उक्त वाद में आज तक प्रतिवादी द्वारा भी कोई सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष इस बाबत नही दी गई है। इसलिये वादी को जानकारी होने के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि मध्य मानते हुये अबेटमेन्ट कार्यवाही निरस्त करते हुये प्रतिवादी नं0 7 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश करना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्याय हित में प्रतिवादी नं07 मृतक पांचू लाल के उपरोक्त वारिसान को उसका कायम मुकाम बनाया जाकर रिकॉर्ड पर लेते हुये तलब फरमाया जावे तथा अबेटमेंट वाद कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकाम मृतक पांचूलाल पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र जानबूझकर 9 वर्ष बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है और देरी को कंडोन करने का कोई प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही देरी का कोई वास्तविक व युक्तियुक्त कारण माननीय न्यायालय में देरी का बताया गया है। इस आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 7 पांचूलाल जी की मृत्यु होने के आधार पर उनके कायम मुकामान बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2019 को माननीय न्यायालय में पेश किया है जबकि पांचूलाल जी का स्वर्गवास वर्ष 2010 में हो चुका है। और उनके स्वर्गवास की सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.05.2010 को मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये प्रस्तुत कर दी गई है। इसके बावजूद भी वादी ने प्रतिवादी नं0 7 के कायम मुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र निश्चित समयावधि के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है और प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद दिनांक 14.11.2019 को प्रस्तुत किया है जो देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना व अबेटमेंट सेटअसाईड के प्रार्थना पत्र के बिना चलने योग्य नही होने से खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद बावजूद सूचना निश्चित समयावधि के अंदर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने के आधार पर स्वतः ही अबेट हो चुका है और इस आधार पर वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ओर वाद को अबेट हो जाने के आधार पर खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से कथन किया गया है कि पांचूलाल की मृत्यु की जानकारी वादी को सर्वप्रथम सिविल वाद में नोटिस पर मृत्यु होना अंकित होकर आने के बाद हुई है। उक्त वाद में आज तक प्रतिवादी द्वारा भी कोई सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष इस बाबत नही दी गई है। इसलिये वादी को जानकारी होने के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि मध्य मानते हुये अबेटमेन्ट कार्यवाही निरस्त करते हुये प्रतिवादी नं0 7 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश करना न्याय संगत है। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर वादी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया है कि पांचूलाल जी का स्वर्गवास वर्ष 2010 में हो चुका है और उनके स्वर्गवास की सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.05.2010 को मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये प्रस्तुत कर दी गई है। इसके बावजूद भी वादी ने प्रतिवादी नं0 7 के कायम मुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र निश्चित समयावधि के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है और प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद दिनांक 14.11.2019 को प्रस्तुत किया है जो देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना व अबेटमेंट सेटअसाईड के प्रार्थना पत्र के बिना चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली एवं आदेशिका का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.06.2010 को प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी नं0 7 की मृत्यु की सूचना देने पेश किया गया। जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई। जिससे प्रतिवादी द्वारा किये गये इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पांचूलाल की मृत्यु की सूचना न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2010 को प्रस्तुत कर दी थी परन्तु वादी की ओर से 9 वर्ष बाद प्रतिवादी क्रम 7 पांचूलाल जी की मृत्यु होने के आधार पर उनके कायम मुकामान बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2019 को न्यायालय में पेश किया है और साथ ही वादी की ओर से 9 वर्ष देरी का कोई वास्तविक व युक्तियुक्त कारण भी नही बताया गया है। वादी की ओर से 9 वर्ष के डिले को कंडोन करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकाम मृतक प्रतिवादी नं0 7 पांचूलाल के साथ प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रार्थना पत्र अबेटमेंट सेटअसाईड प्रस्तुत किया है जिस कारण से हम प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकाम मृतक प्रतिवादी नं0 7 पांचूलाल स्वीकार किया जाना उचित नही पाते है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकाम मृतक प्रतिवादी नं0 7 पांचूलाल अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं वादी का वाद पत्र प्रतिवादी नं0 7 पांचूलाल की हद तक अबेट किया जाता है। पत्रावली दिनांक 12/9/25 को पेश हो।